रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2003/आश्विन 18, 1925
No. 246] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2003/ASVINA 18, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ईसीबी एंड पीआर प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2003

फा. सं. 5/7/2003-ईसीबी एंड पीआर.—सरकार ने दिनांक 23 अगस्त, 2003 को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को हटाते हुए, प्रथम चरण में केन्द्र सरकार सेवा में नए प्रवेशकर्ताओं जिनमें सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं, के लिए एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली को शुरू करने संबंधी वर्ष 2003-04 की बजट घोषणा को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। नई प्रणाली सभी व्यक्तियों जिनमें स्व-रोजगार वाले व्यावसायिकों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति भी शामिल हैं, के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर, उपलब्ध होगी तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा अन्य विशेष भविष्य निधियों के अधीन अनिवार्य कार्यक्रम, कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इन निधियों को शासित करने वाले अन्य विशेष अधिनियमों के अधीन, मौजूदा प्रणाली के अनुसार कार्य करते रहेंगे।

सरकार इस बात से संतुष्ट है कि एक समग्र विधान के पारित होने तक प्रस्तावित सांविधिक प्राधिकरण के पूर्वगामी के रूप में एक अंतरिम निकाय गठित करना तथा उसे प्रचालनात्मक बनाना आवश्यक है, जिसके साथ अंतरिम निकाय का अन्ततः विलय होगा, अथवा इस प्राधिकरण का गठन हो जाने पर उसमें यह परिवर्तित किया जाएगा।

इसलिए अब भारत सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अंतरिम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को निम्नानुसार गठित करती है।

(i) पीएफआरडीए के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य-दो पूर्णकालिक तथा दो अंशकालिक-की नियुक्ति अनुबंध-I में दी गई शर्तों के अनुसार की जाएगी।

(ii) पीएफआरडीए पेंशन बाजार को विनियमित तथा विकसित करेगा । पीएफआरडीए प्रयोक्ता प्रभारों पर आधारित अपनी स्वयं की निधिपोषण प्रणाली बनाएगा । ऐसे अतिरिक्त कार्य, जिन्हें आवश्यक माना जाए, पेंशन बाजार के प्रभावी विनियमन, संवर्धन तथा क्रमिक वृद्धि के लिए पीएफआरडीए को सौंप दिए जाएं ।

(iii) अंतरिम पीएफआरडीए की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो कम से कम भारत सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी हो और उसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी । अंतरिम निकाय के अन्य सदस्य, जिनकी संख्या चार से अधिक न हो और जिनमें से दो पूर्णकालिक सेवा करेंगे, का चयन केन्द्र सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो अर्थशास्त्र, वित्त, विधि एवं प्रशासनिक कार्यों का अनुभव तथा ज्ञान रखते हो तथा कम से कम एक विषय से प्रत्येक व्यक्ति संबंधित हो । अध्यक्ष उपर्युक्त किसी भी क्षेत्र से हो सकता है ।

(iv) पीएफआरडीए के अध्यक्ष को पीएफआरडीए के कार्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए समुचित शक्तियां प्राप्त होंगी । इस प्रयोजनार्थ, पीएफआरडीए अपने लिए उपयुक्त सहायक स्टॉफ की व्यवस्था करेगा तथा पर्याप्त संसाधन जुटाएगा ।

(v) सरकार पीएफआरडीए द्वारा उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनुदानों की व्यवस्था करेगी,

(vi) सरकार के समग्र निदेशों तथा दिशानिर्देशों के अध्यधीन, पीएफआरडीए निम्न कार्य करेगा :-

(क) पेंशन बाजार के संवर्धन तथा सुव्यवस्थित संवृद्धि से जुड़े सभी मामलों संबंधी कार्रवाई ;

(ख) ऊपर निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ व्यापक विधान का प्रस्ताव ; तथा

(ग) ऐसे सभी अन्य कार्य करेगा जो ऊपर (क) एवं (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(vii) पीएफआरडीए अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा उसको अपने कार्यकरण से संबंधित अभिलेख, विवरणियां, टिप्पणियां, ज्ञापन, आंकड़े अथवा कोई अन्य संगत सामग्री सरकारी तथा गैर सरकारी निकायों से मंगवाने तथा साथ ही उनके साथ विचार-विमर्श करने की शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(viii) पीएफआरडीए का मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा वह पेंशन क्षेत्रक के विभिन्न पहलुओं के संबंध में तथा ऐसे अन्य विशिष्ट मामलों पर सरकार को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर मांगी जाएं ।

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

अन्तरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सेवा-शर्तों का मसौदा

(क) सेवा-कालः अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य दो वर्ष की अवधि अथवा सांविधिक पीएफआरडीए स्थापित किए जाने तक, जो भी पहले हो, पदभार संभालेगा। तथापि, सांविधिक पीएफआरडीए के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य और आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा क्रमशः पैंसठ या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पुनः नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होंगे।

(ख) पुनः नियुक्ति के लिए पात्रताः अध्यक्ष अथवा सदस्य केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी निकाय/ प्राधिकरण के तहत तब तक पुनःनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक उन्होंने दो वर्ष की विराम अवधि पूरी न कर ली हो। इसी प्रकार, अध्यक्ष अथवा सदस्य पदभार छोड़ने के बाद दो वर्ष तक निजी आधार पर ऐसे संगठनों/संकायों/संबद्ध निकायों में जो संबंधित विनियामक प्राधिकरण के प्रचालनात्मक न्यायाधिकार क्षेत्र में आते हों, में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। पूर्णकालिक सदस्य विनियमित निकायों से सभी संपर्क समाप्त कर देगा। पूर्णकालिक और अंशकालिक, दोनों, प्रकार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों अर्थात् पति/पत्नी, आश्रित संतान और माता-पिता के विनियमित निकाय में नियुक्ति और शेयरधारिता के ब्यौरों की घोषणा करेंगे।

(ग) वेतनः यदि किसी सरकारी अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होती है, तो उन्हें भारत सरकार में सचिव को यथानुमत वेतन के समकक्ष वेतन दिया जाएगा। वेतन प्रचलित आदेश अर्थात् पेंशन रहित वेतन इत्यादि, के अनुसार नियत किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के किसी अधिकारी की नियुक्ति यदि अध्यक्ष के रूप में की जाती है तो वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में आहरित अंतिम वेतन के समकक्ष वेतन आहरित करेगा। यदि निजी क्षेत्र के व्यक्ति की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा तय किया गया वेतन दिया जाएगा। यदि सरकारी अधिकारी का चयन पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किया जाता है, तो उन्हें भारत सरकार में अपर सचिव को यथानुमत वेतन के समकक्ष वेतन दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी का चयन यदि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किया जाता है तो उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में आहरित अंतिम वेतन के समकक्ष वेतन दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के किसी व्यक्ति का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चयन किए जाने पर उन्हें सरकार द्वारा तय किया गया वेतन दिया जाएगा। अंशकालिक सदस्य सरकार द्वारा तय किया गया "बैठक शुल्क" (सिटिंग फी) प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(घ) पेंशनः अध्यक्ष और सदस्य सुस्पष्ट अंशदान पर आधारित व्यक्तिगत सेवा-निवृत्ति खाता प्रकार की नई पेंशन प्रणाली में हिस्सा लेंगे।

(ङ) महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ताः अध्यक्ष और सदस्य सरकार में समकक्ष वेतन लेने वाले अधिकारियों को अनुमत दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(च) छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ताः अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता समकक्ष मूलवेतन लेने वाले सरकारी अधिकारियों को अनुमत भत्तों के अनुरूप दिया जाएगा। वे केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन उस श्रेणी के अतिथि गृहों /निरीक्षण बंगलों में जिसके लिए समकक्ष वेतन वाले सरकारी अधिकारी पात्र हैं, में शहर से बाहर सामान्य किरायों का भुगतान करने पर अस्थायी आवास की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

(छ) <u>विदेश यात्राएं :</u> अध्यक्ष और किसी भी सदस्य द्वारा 15 दिन तक की अधिकारिक विदेश यात्रा बिना सरकारी अनुमोदन के की जा सकेगी। तथापि, एक वर्ष में 15 दिन से अधिक की यात्रा भारत सरकार में समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों को यथानुगत सरकारी आदेशों के अनुसार ही की जा सकेगी। विदेशों में सरकारी प्रतिनिधि मंडल जिसमें प्रशासनिक सचिव और अध्यक्ष अथवा विनियामक प्राधिकरण के सदस्य दोनों शामिल हैं, का संचालन सचिव करेंगे। घरेलू दौरों के लिए अध्यक्ष प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव को सूचित करेगा।

(ज) <u>आवास:</u> पी एफ आर डी ए के अध्यक्ष और सदस्य कार्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर किराए पर आवास लेने के हकदार होंगे और इस व्यवस्था के लिए स्वीकार्य अधिकतम लागत 2500/-रूपए प्रति वर्ग फुट से अधिक नहीं होगी। यदि किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है जिसे पहले से ही सरकारी आवास आवंटित किया गया हो तो वह उचित स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही उसे धारित करने का हकदार होगा।

(झ) <u>सत्कार भत्ता:</u> अध्यक्ष और सदस्य सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सत्कार भत्ते के हकदार होंगे।

( ) <u>चिकित्सा संबंधी सुविधाएं :</u> अध्यक्ष और सदस्य घरेलू चिकित्सा बीमा सुरक्षा को खरीदने के लिए अदा किये गये वास्तविक प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(ट) <u>परिवहन:</u> अध्यक्ष और सदस्य समकक्ष रैंक के अधिकारियों को यथा प्रदत्त सरकारी कारों का प्रयोग करने की सुविधा के हकदार होंगे।

(ठ) <u>स्तर:</u> अध्यक्ष तथा सदस्य को अनुसचिवीय स्तर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा नियुक्त किए गए व्यक्ति के पूर्व स्तर को अध्यक्ष/सदस्य को प्रदत्त स्तर का निर्धारण करने के लिए पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा। अपवादात्मक रूप से पात्र मामलों में पूर्ण औचित्य के साथ गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जाएगा जो यथावश्यक सचिवों की स्थायी समिति के साथ संपर्क करेगा जैसा कि दिनांक 16 नवम्बर, 1996 के मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुदेश सं0-99/1/5/95- मंत्रिमंडल में निर्धारित किया गया है।

(ड) <u>छुट्टी:</u> अध्यक्ष अथवा सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिनों की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी के दौरान अवकाश वेतन का भुगतान सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समय पर अपने खाते में जमा अर्जित छुट्टी के 50 प्रतिशत का उपभोग करने का हकदार होगा। निजी क्षेत्र से नियोजित अध्यक्ष और सदस्यों के लिए छुट्टी का कोई नकदीकरण नही किया जाएगा।

(ढ) <u>प्रशासनिक और अन्य अवशिष्ट मामले:</u> पीएफआरडीए के प्रचालनों से संबंधित प्रशासनिक मामले और अध्यक्ष तथा सदस्य की सेवा शर्तों, जिसके लिए इन निदेशों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, के हर मामले में केन्द्र सरकार को उसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा और केन्द्र सरकार का निर्णय पीएफआरडीए के लिए बाध्यकारी होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(ECB & PR DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th October, 2003

F. No. 5/7/2003-ECB & PR.—The Government approved on 23rd August, 2003 the proposal to implement the budget announcement of 2003-04 relating to introducing a new restructured defined contribution pension system for new entrants to Central Government service, except to Armed Forces, in the first stage, replacing the existing system of defined benefit pension system. The new system will also be available, on a voluntary basis, to all persons including self employed professionals and others in the unorganised sector. However, mandatory programmes under the Employee Provident Fund Organisation (EPFO) and other special provident funds would continue to operate as per the existing system under the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and other special Acts governing these funds.

Whereas the Government are satisfied that pending the enactment of a comprehensive legislation it is necessary to constitute and make operational an interim body as a precursor to the proposed statutory Authority, with which the interim body would be ultimately merged, or which it will be converted into when the latter is constituted;

Now therefore the Government of India do hereby constitute the interim Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) under the overall administrative control of the Ministry of Finance.

(i) The chairman of PFRDA and other Members- two full time and two part time- will be appointed as per terms and conditions given at Annex-I.

(ii) The PFRDA shall regulate and develop the pension market. PFRDA will develop its own funding stream based on user charges. Such additional functions as may be considered necessary to the interim PFRDA may be assigned to enable it to effectively regulate, promote and ensure the orderly growth of the pension market.

(iii) The interim PFRDA is to be headed by a Chairman with the status of not less than a Secretary to the Government of India and would be appointed by the Central Government. Other members of the interim body, not exceeding four in number, of whom not more than two shall serve full time, shall be selected by the Central Government from amongst persons having experience and knowledge in economics, finance, legal and administrative matters with one person from each discipline. The Chairman can be from any of the above disciplines.

2944 GI/03-2

(iv) The Chairman of the PFRDA shall have appropriate powers to discharge the functions of the PFRDA effectively. For this purpose the PFRDA shall provide itself with suitable supporting staff and raise adequate resources.

(v) The Government will provide adequate grants for meeting the expenses incurred by the PFRDA.

(vi) Subject to the overall directions and guidelines of the Government the PFRDA shall -

(a) Deal with all matters relating to promotion and orderly growth of pension market;

(b) Propose comprehensive legislation for the purpose indicated above; and

(c) Carry out such other functions as may be delegated to the Authority for the purposes indicated in (a) and (b) above.

(vii) The PFRDA shall be free to determine its own procedures and will have powers to call for records, returns, notes, memoranda, data or any other material relevant to its working from official and non-official bodies and also hold discussions with them.

(viii) The PFRDA will have its headquarter in Delhi and submit periodical reports to Government on various aspects of the pension sector and on such other specific matters as may be called for by the Government from time to time.

U.K. SINHA, Jt. Secy.

Annex-I

TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF INTERIM PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PFRDA)

(a) TENURE: The Chairman and every member shall hold office for a period of two years or till a statutory PFRDA is in place-whichever is earlier. However, Chairman and Members will be eligible for reappointment under the statutory PFRDA for a further term of three years or till they have attained the age of sixty-five years or sixty-two years respectively, whichever is earlier.

(b) ELIGIBILITY FOR REEMPOYMENT: Chairperson or a Member would not be eligible for reemployment under the Central Government or any body/authority substantially financed by the Central Government unless he has cooled off for a period of two years. Similarly, for two years no Chairperson or Member would be eligible to take up private employment after demitting office, in the organizations/conglomerates/associates that fell within the operational

jurisdiction of the concerned Regulatory Authority. A full time member will severe all connections from the regulated entities. Both full time and part time members will declare particulars of employment and shareholding in regulated entity of the immediate family members i.e. spouse, dependent children and parents.

(c) PAY: A Government servant, if appointed as Chairman, shall receive pay as admissible to the Secretary to the Government of India. The pay will be fixed in accordance with the prevailing order, i.e. pay minus pension etc. An official of Public Sector Undertaking (PSU), if appointed as a Chairman shall draw the last drawn pay in the PSU. A person from a private sector, if appointed as a Chairman, shall draw the pay as decided by the Government. A government official, if selected as a Whole-time member, shall receive pay as admissible to the Additional Secretary to the Government of India. An official of Public Sector Undertaking (PSU), if selected as a Whole-time member, shall draw the last drawn pay in the PSU. A person from a private sector, if selected as a Whole-time member, shall draw the pay as decided by the Government. A part-time member will be entitled to a sitting fee to be decided by the Government.

(d) PENSION: The Chairperson and Members would participate in the individual retirement account type new pension system based on defined contribution.

(e) DA & CCA: The Chairperson and Members shall be entitled to Dearness Allowance and City Compensatory Allowance at the rate admissible to officers of equivalent pay in the Government.

(f). LTC, TA & DA: Traveling Allowance and Daily Allowance on tour shall be paid to the Chairperson and Members as applicable to Government Servants drawing that basic pay. They would also be entitled to facility of temporary Government accommodation in Guest Houses/Inspection Bungalows under the control of the Central Government, wherever applicable, on payment of normal rent at out-stations, of the class to which Government Servants of equivalent pay are eligible.

(g) VISITS ABROAD: Official visits abroad by the Chairperson and any Member up to 15 days would be undertaken without any Government approval. However, the visits beyond 15 days in a year would be undertaken only in accordance with the Government orders as applicable to officers of equal grade in Government of India. In regard to official delegations abroad in which both the administrative Secretary and the Chairperson or Member of the Regulatory Authority are included, the Secretary would lead the delegation. For domestic tours the Chairperson would keep the Secretary of the administrative Ministry/Department informed.

(h) ACCOMMODATION: The Chairperson and Members of PFRDA will be entitled to hire accommodation from the market within a radius of 8 Kms. from the office and the maximum cost admissible for this arrangement, would not exceed Rs.2500/- per sq. ft. If a Government employee is appointed who has already been allotted a government accommodation, then he will be entitled to retain the same after obtaining approvals at appropriate level.

(i) SUMPTUARY ALLOWANCE: The Chairperson and Members would be entitled to Sumptuary Allowance as decided by the Government.

(j) MEDICAL FACILITIES: The Chairperson and Members shall be reimbursed the actual premium paid to purchase the domestic medical insurance cover.

(k) TRANSPORT: The Chairperson and members shall be entitled to official cars as admissible to officers in the equivalent rank.

(l) STATUS: Chairperson and Member would not be accorded Ministerial status and the previous status of the appointee shall not be treated as a precedent for determining the status accorded to the Chairperson/Member. In exceptionally meritorious cases, the Ministry of Home Affairs would be consulted, along with full justification, which would approach the Standing Committee of Secretaries, wherever necessary, as laid down in Cabinet Sectt. Instructions No. 99/1/5/95-Cab. Dated November 16, 1996.

(m) LEAVE: A Chairperson or Member would be entitled to 30 days of Earned Leave for every year of Service. The payment of leave salary during leave shall be governed by Rule 40 of CCS (Leave) Rules, 1972. A person would be entitled to encashment of 50% of Earned Leave to his credit at any time. There will be no leave encashment for Chairperson and Members employed from the private sector.

(n) ADMINISTRATIVE AND OTHER RESIDUARY MATTERS: Administrative matters relating to the operations of PFRDA or the conditions of service of the Chairperson and a Member, with respect to which no express provision has been made in these instructions, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on PFRDA.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.